	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 2, मंगलवार, शाके 1943–अगस्त 24, 2021 *Bhadra 2, Tuesday, Saka 1943- August 24, 2021*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवंनि.). जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, अगस्त 06, 2021

संख्या D. 1653 :-भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीयअधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4 (जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं.एफ. 15 (4) ऊर्जा/2017 दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया। जिस के अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/ जयपुर/ जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्तशक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपूर्ति हेतु **132 केवी जीएसएस राजपुरा के लिए 132 केवी श्री-डूंगरगढ़-दुलचासर ट्रांसमिशन लाइन का 132 केवी डबल सर्किट एलआईएलओ हेतु मार्ग-अधिकार अर्थात राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी करते है।

उक्त द्विपथीय लाईन निम्नलिखित गांवो की सीमा / राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

क्र.सं.	गांवो के नाम	क्र.सं.	गांवो के नाम
1	झांझेउ	7	समंदसर
2	जोधासर	8	मनकरासर
3	शेरुना	9	बिंजासर
4	लखासर	10	राजपुरा
5	गोपालसर	11	पुनरासर
6	देराजसर	12	दुलचासर

बी. पी चौहान,

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवंनि)

रा.रा.वि.प्र.नि.लि, जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।